



Phones : (0522) 2668004-008, 700, 800, 900
Fax : (0522) 2668017, 2668129

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow-226 014 (India)

पत्रांक-पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0सं0685/जेड भाग-3/2023,

दिनांक: 01 मार्च, 2023

कार्यालय आदेश

संस्थान की शासी निकाय की बैठक दिनांक 27.06.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 को अंगीकार किए जाने के आदेश पारित किए गये थे एवं तदनुसार संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की परिवीक्षा संबंधी प्रकरणों के व्यवहृत किए जाने के आदेश दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013, में अधिसूचना संख्या-1/2016/13/2 /1997-का-1-2016, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा निम्नवत संशोधन किए गए हैं:-

"किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा, यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नति किया गया है, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है।"

उक्त संशोधन शासनादेश की तिथि दिनांक 17 फरवरी, 2016 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार संस्थान के कर्मियों को परिवीक्षा संबंधी प्रकरण व्यवहृत किए जायेंगे।

(राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर निदेशक
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक
3. संयुक्त निदेश (प्रशासन)
4. वित्त अधिकारी
5. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित
6. समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
7. समस्त सूचना पट्ट
8. कार्यालय प्रति।

(राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक